न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 35/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री दीपक कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मैसर्स शिव शक्ति किराना स्टोर, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा निवासीः– आदर्श कॉलोनी, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा विक्रेता।
2. श्री रजनीश गोयल मैसर्स जयपुरिया ऑवरसीज एलएलपी, एच1, 426ए, 427बी, सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा एक्सटेंशन, जयपुर निर्माता पार्टनर।
3. श्री रामअवतार गोयल मैसर्स जयपुरिया ऑवरसीज एलएलपी, एच1, 426ए, 427बी, सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा एक्सटेंशन, जयपुर निर्माता पार्टनर।

– अभियुक्तगण–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः–02.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 12.07.2018 को दोपहर बाद 03:30 बजे मैसर्सः– शिव शक्ति किराना स्टोर, गढ रोड, मण्डावर, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दीपक कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान पर लकडी की रैक में 50 ग्राम वजन में 30 कम्पनी पैक प्लास्टिक की डिब्बी संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर 50 ग्राम के 12 मूल कम्पनी पैक नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत 960 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) को 3–3 मूल कम्पनी पैक पर चिपकाकर अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1947 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री सतीश चन्द कनिष्ठ सहायक मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.07.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.07.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.07.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) के नमूने की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1137/एक्ट/2018/1236 दिनांक 24.07.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) के लेबल पर **"BEST BEFORE 18 MONTHS FROM THE DATE OF PACKAGING"** के स्थान पर **"BEST BEFORE 18 MONTHS FROM PACKAGING"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा बिल से ही माल क्रय व विक्रय किया जाता है। इस खाद्य पदार्थ के निर्माता ही जिम्मेदार है। मुझे इस प्रकरण से मुक्त करने का श्रम करे। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) का नमूना दिनांक 12.07.2018 को लिया गया था। जो जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया है। जिसकी हमे कानूनन

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

जानकारी नहीं थी, जानकारी में आने के पश्चात् इसमें सुधार करवा दिया गया है। प्रथम बार हुई जानकारी के अभाव में गलती के लिये जुर्माना न लगाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1137/एक्ट/2018/1236 दिनांक 24.07.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधाकी हींग (भगवती) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 श्री रजनीश गोयल मैसर्स जयपुरिया ऑवरसीज एलएलपी, एच1, 426ए, 427बी, सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा एक्सटेंशन, जयपुर निर्माता पार्टनर एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री रामअवतार गोयल मैसर्स जयपुरिया ऑवरसीज एलएलपी, एच1, 426ए, 427बी, सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा एक्सटेंशन, जयपुर निर्माता पार्टनर पर 4,000/-(अक्षरे चार हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 02.01.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/52-56

दिनांकः-04.01.2019

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मैसर्स शिव शक्ति किराना स्टोर, गढ रोड मण्डावर, जिला दौसा निवासीः- आदर्श कॉलोनी, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा विक्रेता।
4. श्री रजनीश गोयल मैसर्स जयपुरिया ऑवरसीज एलएलपी, एच1, 426ए, 427बी, सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा एक्सटेंशन, जयपुर निर्माता पार्टनर।
5. श्री रामअवतार गोयल मैसर्स जयपुरिया ऑवरसीज एलएलपी, एच1, 426ए, 427बी, सरना डूंगर, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा एक्सटेंशन, जयपुर निर्माता पार्टनर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा